

उच्च शिक्षा ऋण योजना

➤ पात्रता :

- i. छात्र भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- ii. छात्र द्वारा HSC (10 plus 2 or equivalent) के बाद प्रवेश परीक्षा/चयन प्रक्रिया के द्वारा भारत अथवा विदेश के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश प्राप्त किया हो।
- iii. छात्र का अन्य किसी संस्था से शिक्षा ऋण बकाया नहीं होना चाहिये।
- iv. छात्र **मेधावी (Meritorious Student)** हों अर्थात् जिसका शैक्षणिक रिकार्ड अच्छा हो।

मेधावी छात्र एक सापेक्ष शब्द हैं, "शैक्षणिक रिकार्ड अच्छा होने" से अभिप्राय यदि छात्र द्वारा मेरिट आधारित परीक्षा के माध्यम से पात्र पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया है तो उसे मेधावी छात्र के रूप में स्वीकार्य किया जा सकता है। सामान्यतः व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में कॉमन प्रवेश परीक्षा (Common Entrance Test) के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है एवं ऐसे छात्र जिन्होंने इस प्रक्रिया अन्तर्गत प्रवेश प्राप्त किया है, मेधावी छात्र माने जावेंगे।

पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश केवल योग्यता परीक्षा (Qualifying Examination) के प्राप्तांक के आधार पर प्रदान किया जाता है, ऐसे पाठ्यक्रम के शिक्षा ऋण हेतु विचार किया जा सकता है बशर्ते –

छात्रों के जिन्होंने उक्त योग्यता परीक्षा (अन्तिम बोर्ड परीक्षा/अन्तिम स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री) में निम्नानुसार न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त किये गये हो

सामान्य वर्ग हेतु न्यूनतम प्राप्तांक : 60%
अजा/अजजा/ओबीसी वर्ग हेतु न्यूनतम प्राप्तांक : 50%

➤ पात्र पाठ्यक्रम :

A. भारत में अध्ययन

निम्न सूची सांकेतिक प्रकृति की हैं, अध्ययन हेतु संबंधित पाठ्यक्रम नामित एकेडेमिक अधिकारी/नियामक संस्था द्वारा अनुमोदिन/मान्यता प्राप्त होना महत्वपूर्ण हैं।

- i. Approved Courses leading to graduate/post graduate degree and P.G. Diploma conducted by recognized colleges/universities recognized by UGC/Government/AICTE/AIBMS/ICMR etc.
- ii. Courses like ICWA, CA, CFA etc. (Only exam fee to the respective Institutes, in absence of regular course curriculum.)
- iii. Courses conducted by National Institutes, like IIMs, IITs, IISc, XLRI, NIFT, NID, and other Institutes set up by Central / State Govt.
- iv. Evening /Part-time courses of approved institutes.
- v. Regular Degree/Diploma courses like Aeronautical, Pilot training, Shipping, Degree/Diploma in Nursing or any other discipline approved by Director

General of Civil Aviation/ Shipping/Indian Nursing Council or any other regulatory body as the case may be, if the course is pursued in India.

- vi. Courses offered in India by reputed Foreign University **with prior approval of Bank**
- vii. Courses offered in India by National Institutes and other reputed private institutes **with prior approval of Bank**

B. विदेश में अध्ययन

(Institute/University with World ranking upto 3000 provided in the website: www.webometrics.info only will be covered.)

- i. Graduation: For job oriented professional / technical courses offered by reputed universities.
- ii. Post-Graduation: MCA, MBA, MS, etc.
- iii. Courses conducted by CIMA-London, CPA in USA, etc.
- iv. Degree/Diploma courses like Aeronautical Pilot Training/Shipping, etc. provided these are recognized by competent regulatory bodies in India/abroad for the purpose of employment in India/Abroad.

Note:

1. Skill development study courses, off-campus courses (Distance Education) & on-site/Partnership Programmes are not eligible.
2. Diploma/Certificate/Vocational courses outside the purview of Model Education Loan Scheme, for both studies in India and Abroad, are not eligible.
3. As per IMC (Indian Medical Council) Ordinance 2013 with effect from 15th May 2013, Any Indian citizen who intends to obtain medical qualification from any foreign country on or after 15th May 2013 are not required to obtain permission/Eligibility criteria from the Medical Council of India.

➤ ऋण हेतु विचार योग्य व्यय (Expences consider for loan) :

- i. कालेज/स्कूल/हॉस्टल को देय शुल्क,
- ii. परीक्षा/पुस्तकालय/लैबोरेटरी शुल्क,
- iii. संस्था के बिलों/रसीदों द्वारा प्रमाणित काशन डिपॉजिट/बिल्डिंग फण्ड/लौटाये जाने वाले डिपॉजिट, जो कि कुल ट्यूशन फीस का 10 प्रतिशत से अधिक न हो,
- iv. पुस्तक/उपकरणों/यंत्रों/स्कूल वर्दी की खरीद हेतु,
- v. विदेश में अध्ययन हेतु यात्रा व्यय/पैसेज आदि।(केवल एक बार आने-जाने हेतु),
- vi. कंप्यूटर/लेपटाप की खरीद जो पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु अनिवार्य हो,
- vii. पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु अपेक्षित अन्य व्यय जैसे स्टडी टूर, प्रोजेक्ट वर्क, थिसिस इत्यादि।
- viii. ऋण अवधि हेतु छात्र/सह ऋणी के जीवन बीमा की प्रिमियम,

➤ अधिकतम वित्तपोषण की मात्रा (Maximum Quantum of loan):

- i. भारत में अध्ययन अधिकतम सीमा ₹10,00,000 /—
- ii. विदेशों में अध्ययन हेतु अधिकतम सीमा ₹20,00,000 /—

अनुमोदित विश्वविद्यालय/संस्थाओं के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों हेतु उपरोक्त निर्धारित सीमा से अधिक पर बैंक द्वारा पाठ्यक्रम के मूल्यांकन/रोजगार की संभावना के आधार पर विचार किया जा सकता है,

➤ अंशदान :

Quantum of Loan	Purpose	Margin %
Up to Rs.4 lacs	Both study in India & Abrod	NIL
Above Rs.4 lacs	Study in India	5%
	Study in Abrod	15%

➤ ब्याजदर :

Loan Sanction Limit	Rate of Interest (%) p.a.
Upto Rs.4 lakh	01% below BPLR, at present 11.50% p.a.
Above Rs.4 lakh & upto Rs.7.50 lakh	At BPLR, at present 12.50% p.a.
Above Rs.7.50 lakh	0.50% above BPLR, at present 13.00% p.a.

- महिला हितग्राही को लागू ब्याजदर में ऋण राशि ₹50000/- तक 0.5% तथा ऋण राशि ₹50000/- से अधिक पर 01% छूट की पात्रता रहेगी।
- यदि उधारकर्ता द्वारा moratorium Period के दौरान प्रभारित ब्याज समयानुसार नियमित अदा करता हो तो ब्याज दर में 1% की छूट प्रदाय की जायेगी। यह छूट केवल अध्ययनकाल/अनुग्रह अवधि (Moratorium Period) के दौरान ही लागू रहेगी। यह ब्याज छूट त्रैमासिक आधार पर ऋणी के खाते में वापस जमा की जावेगी।

➤ सुरक्षा प्रतिभूति :

₹4.00लाख तक	i. अभिभावको का सह दायित्व (Co-obligation) ii. किशतों के पुनर्भुगतान हेतु छात्र के भावी आय का समनुदेशन।
₹4.00 लाख से अधिक, ₹ 7.50 लाख तक	i. अभिभावको का सह दायित्व (Co-obligation) ii. उचित हैसियत की तृतीय पक्ष गारंटी iii. किशतों के पुनर्भुगतान हेतु छात्र के भावी आय का समनुदेशन।
₹7.50 लाख से अधिक	i. अभिभावको के सह दायित्व ii. उचित मूल्य की संपार्श्विक प्रतिभूति iii. किशतों के पुनर्भुगतान हेतु छात्र के भावी आय का समनुदेशन।

➤ बीमा (Insurance) :

ऋणी छात्र की ऋण राशि को कॅवर करते हुए उचित मूल्य की जीवन बीमा पॉलिसी, बैंक के पक्ष में समानुदेशन सहित। ऋण राशि के घटक के रूप में बीमा प्रीमियम हेतु ऋण स्वीकृत कर ऋण खातों को नामें किया जा सकता है।

➤ प्रभार

- No Processing/Documentation charges – for study in India
- For Study Abrod : Processing Charges Rs.5000/- + GST
(Processing charges excluding service tax to be refunded once actual loan is availed. Applicant/s to be suitably advised about this condition at the time of

submission of application and consent letter to be obtained from the applicant/s to avoid dispute at later stage)

➤ पुनर्भुगतान :

- पुनर्भुगतान अवकाश/ऋण स्थगन अवधि – पाठयक्रम की अवधि + 01 वर्ष।
- पुनर्भुगतान शुरू होने के बाद 15 वर्ष में। ऋण का पुनर्भुगतान 15 वर्षों में समिकृत मासिक किश्तों में देय होगा।

➤ आवश्यक दस्तावेज :

- KYC Document Aadhaar Card/Voter ID Card/Driving License/PAN Card/Passport/NAREGA Job card
- Document for Address Proof
- Certificate evidencing Students Date of Birth
- Mark sheet of qualifying examination from Xth Standard onwards.
- Particulars of scholarships/prizes won in school/collage for academic distinction, if any.
- Proof of admission to the course
- Schedule of expenses for the course, from the institution
- Passport Size photographs of the applicant/ parent/ Co-obliging/ Guarantor (2 Copies each)
- Proof of Income/ asset (if any)
- Latest Salary Certificate and form No. 16 (for salaried persons) – [As applicable]
- ITAO/IT Returns (latest) [As applicable]
- Copy of land records [As per applicable]
- Letter of undertaking to submit PAN Number and Aadhar Number, If not available
- In case of foreign studies please also submit copy of Passport (All Pages), Visa (to be submitted before disbursement of loan), Form I-20 (USA) or similar forms applicable in other countries.
- Affidavit regarding NO Dues from other financial Institute/Bank

➤ अधिक जानकारी के लिए नजदीकी शाखा से सम्पर्क करें। ऋण प्रकरण का निराकरण निर्धारित मानदण्ड के तहत किया जावेगा।

.....